फा.सं. 21/2/2016-सामान्य प्रशासन
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)
*****

ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक 18 जनवरी, 2018

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

विषयः- कम्प्यूटरों, लैपटाप, प्रिंटरों, यूपीएस तथा प्रोजेक्टर की व्यापक मरम्मत तथा रखरखाव हेतु कोटेशन्स।

इच्छुक तथा पात्र सेवा एजेंसियों से निम्नलिखित कार्य के लिए नीचे पैराग्राफ 2 में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन सीलबंद कोटेशन्स आमंत्रित की जाती हैं :-

2. निबंधन एवं शर्तें :-

2.1 फर्मों की पात्रता :-

i. फर्म या सेवा प्रदाता एजेंसी के पास वैध जीएसटी पंजीकरण सं., वेट पंजीकरण सं. और टैन/पैन आदि होना चाहिए और प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अपेक्षित हैं।

ii. फर्म पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक प्रतिवर्ष वार्षिक रखरखाव अनुबंध के साथ व्यवसाय में तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में होनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोलीदाता का प्रतिवर्ष कारोबार कम से कम एक करोड़ रुपये का हो।

iii. कंपनी के पास दिल्ली में सरकारी विभागों/पीएसयू के साथ कम से कम 3 वर्ष का विगत रखरखाव अनुबंध होना चाहिए। कंपनी को सरकारी विभागों में पिछले रखरखाव कार्य का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

iv. जिन फर्मों का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली/रा.रा. क्षेत्र में हो और जिनके पास वैध टीआईएन (TIN) नंबर हो केवल वही फर्में निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

v. फर्म को एचपी/लेनोवो/डेल आदि जैसी कंपनियों में से किसी एक का अधिकृत आपूर्तिकर्ता होना चाहिए। वेंडर के लिए इन कंप्यूटरों/सर्वरों/यूपीएस तथा नेटवर्क उपकरणों आदि के रखरखाव के लिए ओ.ई.एम. के साथ संपर्क रखना अपेक्षित होगा।

vi. फर्म को एचपी/लेनोवो/डेल/आईबीएम आदि जैसी कंपनियों में से किसी एक का अधिकृत वारंटी सेवा प्रदाता होना चाहिए और इसकी एक सत्यापित प्रति इस निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

vii. ग्राहकों (केवल सरकारी विभाग) द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि प्रमाण-पत्र (कम से कम 5 प्रतियां)।

viii. फर्म को कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा कार्य अनुबंध कर हेतु दिल्ली बिक्री कर विभाग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है और इसके पास वैध ईएसआई तथा पीएफ पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।

ix. कंपनी को पंजीकरण संख्या, पैन नंबर, सेवा कर नंबर के आबंटन से संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

x. वेंडर द्वारा एक ऐसा योग्य स्थानिक इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा जिसके पास कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का एक वर्षीय डिप्लोमा हो या वह सीसीएनए, एमसीएससी योग्यता प्राप्त हो और जिसके पास आईटी हार्डवेयर मदों के रखरखाव में कम से कम 3-4 वर्ष का अनुभव हो, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 9.00 बजे से शाम को 5.30 बजे तक हमारे कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। नियुक्त किए जाने वाले संभावित इंजीनियरों की सूची बायोडाटा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

xi. फर्म के पास लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) दोष निवारण में विशेषज्ञता एवं अनुभव होना भी अनिवार्य है। बोलीदाता ने लाइनेक्स/विंडो एनटी पर्यावरण के अधीन लेन से जुड़े हुए 500 से अधिक कंप्यूटरों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध लगातार कम से कम दो वर्ष निष्पादित किया हो।

xii. फर्म द्वारा सरकार की न्यूनतम मजदूरी नीति का पालन किया जाना चाहिए।

2.2 **ठेके की अवधि:** सीएसएमसी की अवधि सामान्य तौर पर ठेका दिए जाने की तारीख से एक वर्ष होगी।

2.3 **कार्यस्थल:** कम्प्यूटर आदि, जिनके लिए सीएसएमसी दिया जाएगा, वे ब्लॉक नं. 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित इस विभाग के विभिन्न कमरों में स्थापित हैं।

2.4 **धरोहर राशि :** डीडीओ, दीपम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में 10,000 रु. (मात्र दस हजार रुपये) की धरोहर राशि निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रिफंड की जाएगी। धरोहर राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

2.5 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, यूपीएस, लैपटॉप और प्रोजेक्टर के लिए सीएसएमसी हेतु दर में, जहां आवश्यक हो, पुर्जों के प्रतिस्थापन की लागत शामिल होनी चाहिए। यह उल्लेख किया जाता है कि सीएसएमसी आरंभ होने के समय सभी कंप्यूटर और अन्य आईटी उपकरण चालू हालत में हैं।

2.6 भुगतान, फर्म की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने पर प्रत्येक तिमाही के अंत में त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

2.7 कम्प्यूटरों, प्रिंटरों और यूपीएस के बदले गए पुर्जे प्रसिद्ध ब्रांड के होने चाहिए।

2.8 एक स्थानिक इंजीनियर सभी पांच कार्य दिवसों में पूरे दिन इस कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। नियुक्त इंजीनियर अनुभाग अधिकारी के पास रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। यदि सूचना के 24 घंटों के अंदर शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती तो 500 रु. प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

2.9 यदि कोई मशीन या उसका कोई पुर्जा मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए बाहर कार्यशाला में ले जाना अपेक्षित हो तो मशीन को कार्यशाला तक ले जाने की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का होगा। ढुलाई/मजदूरी के आधार पर किसी प्रभार का विभाग द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। इस दौरान खराब मशीन के मरम्मत होने और विधिवत रूप से मरम्मत होने के बाद स्थापित होने तक सेवा प्रदाता अपने स्टॉक से वैकल्पिक मशीन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

2.10 **निविदाओं का प्रस्तुतीकरण:** पात्र फर्में अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निविदा की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अंदर अवर सचिव (प्रशासन), कमरा सं. 215, ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत कर सकती हैं। एजेंसियों को दो अलग-अलग लिफाफे प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है और लिफाफों पर "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए। दोनों सीलबंद लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखे हुए होने चाहिए जिस पर "कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, यूपीएस, लैपटॉप और प्रोजेक्टर के लिए सीएसएमसी हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

2.11 **अन्तिम तारीखः** निविदाएं **05.02.2018 को अपराह्न 2.00 बजे** तक प्राप्त की जाएंगी।

2.12 **निविदाओं का खोला जानाः** आपवादिक परिस्थितियों में जब तक इस विभाग द्वारा अधिसूचित न किया जाए, निविदाओं को प्राप्ति की ऊपर यथा-उल्लिखित **अन्तिम तारीख यानि 05.02.2018** को अपराह्न **3.00 बजे** इस विभाग के अवर सचिव (प्रशासन) के कार्यालय में खोला जाएगा। निविदाओं को खोलने के समय प्रत्येक निविदाकर्ता फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

2.13 **जमानत राशि** : जिस फर्म को ठेका दिया जाएगा उसे डीडीओ, दीपम के पक्ष में आहरित एफडीआर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में एएमसी लागत के 10% के बराबर जमानत राशि जमा करानी होगी। जमानत राशि ठेके की अवधि पूरी हो जाने पर रिफंड की जाएगी। यदि फर्म ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

2.14 यदि निविदा इस नोटिस के अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में न हो तो निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

2.15 यदि उद्वृत दरों में कोई ओवर राइटिंग हो या कोई बदलाव किया गया हो तो भी कोटेशन को अस्वीकार किया जा सकता है।

2.16 इस विभाग के पास किसी या सभी कोटेशन्स को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी विवाद के मामले में संयुक्त सचिव (प्रशासन) दीपम का निर्णय अन्तिम होगा।

3. **कार्य क्षेत्र**

3.1 कार्य क्षेत्र में अनुबंध-I में उल्लिखित लैपटॉप, पर्सनल कम्प्यूटरों, प्रिंटरों, यूपीएस तथा प्रोजेक्टर आदि का व्यापक रखरखाव शामिल है।

3.2 कार्य क्षेत्र में दीपम द्वारा खरीदे गए और कम्प्यूटरों तथा सहायक कल-पुर्जों में स्थापित किए गए सॉफ्टवेयरों का रखरखाव भी शामिल है।

3.3 कार्य क्षेत्र में दीपम में सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक और यदि अपेक्षित हो शनिवार और रविवार को और कार्य दिवसों में अपराह्न 5.30 बजे के बाद भी तकनीकी कर्मचारी की व्यवस्था करना शामिल है। योग्यता प्राप्त कम से कम एक सेवा इंजीनियर, जिसके पास कम्प्यूटर हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर रखरखाव में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, दीपम में उपलब्ध रहेगा।

3.4 बोलीदाता/फर्म सभी प्रकार के हार्डवेयर तथा उपकरणों की, उपयुक्त सफाई सामग्री का उपयोग करते हुए सफाई करने के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। प्रत्येक उपकरण को दो माह में एक बार नियमित रूप से साफ करना होगा। प्रत्येक उपकरण की सफाई को दर्शाने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा।

3.5 नियुक्त इंजीनियर एएमसी के अधीन कम्प्यूटरों और सहायक उपकरणों के वायरस डिटेक्शन के साथ निवारक रखरखाव के साथ-साथ उपचारात्मक रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट इस विभाग के संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा जुर्माने के जरिए उपयुक्त दण्ड़ लगाया जाएगा।

3.6 बोलीदाता/फर्म द्वारा उपकरणों का रखरखाव निर्माता के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और प्रतिस्थापन हेतु मानक और असली पुर्जों का उपयोग किया जाएगा।

3.7 बोलीदाता/फर्म द्वारा दीपम में एक वायरस मुक्त कम्प्यूटर परिवेश कायम करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।

3.8 दीपम में एक वायरस मुक्त कम्प्यूटर परिवेश कायम करने के लिए आवश्यक सहायता और सॉफ्टवेयर के वायरस डिटेक्शन मैकेनिज्म को अपग्रेड करने के लिए सहायता फर्म/बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाएगी।

3.9 फर्म/बोलीदाता को लेन निवारण में विशेषज्ञता प्राप्त होना अनिवार्य है।

3.10 बताई गई किसी खराबी पर सेवा इंजीनियर द्वारा एक घंटे के अंदर काम आरंभ कर देना होगा। जहां तक संभव हो मरम्मत का काम स्थल पर ही करना होगा। तथापि, यदि उपकरण को कार्यशाला में ले जाया जाए तो फर्म उसके बदले में दूसरा उपकरण उपलब्ध कराएगी।

3.11 एक लॉगबुक का रखरखाव किया जाएगा जिसमें स्थानक इंजीनियर सभी शिकायतों को दर्ज करेगा। प्राप्त सभी शिकायतों पर उनके द्वारा निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगीः-

(i) छोटी खराबियों को तुरंत ठीक करना।

(ii) बड़ी खराबियों को अनुभाग अधिकारी, प्रशासन द्वारा यथा-अनुदेशित उपलब्ध कल-पुर्जो के साथ प्रतिस्थापन पद्धति द्वारा चार घंटे के अंदर ठीक करना।

(iii) लेजर प्रिंटर को छोड़कर जिनकी मरम्मत निर्माता के अधिकृत मरम्मत केन्द्रों द्वारा करवाई जाएगी, बड़ी खराबियों को 48 घंटे के अंदर ठीक करना।

(iv) फर्म खराबियों को ठीक करने से पहले पर्सनल कम्प्यूटरों में उपलब्ध बैक-अप डाटा लेने तथा उपलब्ध प्रोग्राम लेने के लिए उत्तरदायी होगी और खराबी ठीक करने के बाद उन्हें रि-लोड करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। बैक-अप प्रतियां पावती के अधीन प्रयोक्ताओं को वापस की जाएंगी।

(v) यदि उपकरण को मरम्मत के लिए फर्म/निर्माता की मरम्मत कार्यशाला में ले जाना अपेक्षित हो तो यह काम फर्म के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

(vi) पुर्जों को बदलने का काम निर्माता के अनुदेशों तथा दीपम के कार्यालय प्रमुख के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

(vii) फर्म के पास पर्सनल कम्प्यूटरों तथा सहायक उपकरणों को समरूप बनाने के लिए अपेक्षित ड्राइवर (सीडीज) होने चाहिए।

(viii) उपकरणों की मरम्मत, शिकायत को प्रतिस्थापन पद्धति द्वारा दूर करने के बाद स्थल पर या फर्म की कार्यशाला में की जा सकती है और यह मरम्मत शिकायत की प्राप्ति के 7 दिन के अंदर की जाएगी। उपकरणों को निःशुल्क बदला जाएगा।

(ix) प्रतिस्थापन में उपकरणों की सभी मदें शामिल हैं, जिनमें मुख्य हिस्से जैसे कि मॉनिटर ट्यूब्स, प्रिंटरों के प्रिंट हैड्स, डेस्कजैट प्रिंटरों के अडॉप्टर, यूपीएस, एचडीडी, एसएमपीएस, सीपीयू, मदरबोर्ड की एसएमएफ बैटरियां शामिल हैं, लेकिन इनमें कम्प्यूटर स्टेशनरी, रिबन, इंक काट्रेज आदि जैसी उपभोज्य मदें शामिल नहीं हैं।

(x) कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी भौतिक क्षति/त्रुटि/टूट-फूट को सही किया जाएगा और उसकी लागत विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

3.12 सॉफ्टवेयर के रखरखाव के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क)पर्सनल कम्प्यूटरों तथा सहायक उपकरणों में पहले ही संस्थापित सभी सॉफ्टवेयर और बाद में संस्थापित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का रखरखाव।

(ख)प्रयोक्ता को, यदि अपेक्षित हो पर्सनल कम्प्यूटर के उपयोग के संबंध में प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.13 उद्धृत की गई दरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का रखरखाव, पैचेस का संस्थापन, डाटा रिकवरी, वायरस के फैलाव के विरूद्ध पूर्वोपाय, वायरस का पता लगाना/दूर करना, इंटरनेट को समरूप बनाना, एप्लिकेशन्स (क्लाइंट/सर्वर), लोटस नोट्स सर्वर तथा क्लाइंट एप्लिकेशन्स को समरूप बनाना, प्रस्तुतीकरण हेतु कम्प्यूटरों को प्रोजेक्टर से जोड़ना भी शामिल होना चाहिए।

3.14 अनुबंध आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात संयुक्त सचिव (प्रशासन) के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

3.15 अनुबंध को तीन माह का अग्रिम नोटिस देने के बाद संयुक्त सचिव, प्रशासन द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। संयुक्त सचिव, प्रशासन के पास फर्म को कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध को समाप्त किए जाने का अनन्य अधिकार होगा।

3.16 अनुबंध व्यापक आधार पर होगा, जिसमें कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना कल-पुर्जो का प्रतिस्थापन और उनकी मरम्मत शामिल होगी।

3.17 फर्म द्वारा निवारक रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा और संख्या के आधार पर इस प्रकार योजना बनाई जाएगी, ताकि प्रत्येक उपकरण का तीन महीने में कम से कम एक बार रखरखाव किया जा सके। प्रत्येक उपकरण के संबंध में किए गए निवारक रखरखाव दर्ज करने के लिए एक अलग लॉगबुक का रखरखाव किया जाएगा।

3.18 निवारक रखरखाव की सूची में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः-

(i) ड्राई वेक्यूम एयर, ब्रश, सॉफ्ट मसलिन क्लोथ का उपयोग करते हुए सभी उपकरणों की सफाई।

(ii) क्वालिटी प्रिंट/डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट प्रोग्राम चलाना।

(iii) उपयुक्त ग्राइंडिंग तथा उपकरण की सुरक्षा के लिए पावर सप्लाई के स्रोत की जांच करना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक उपकरण के कवर, पैंच, स्विचेज आदि मजबूती से कसे हों।

(v) जरूरत पड़ने पर उपकरणों के स्थान में परिवर्तन।

(vi) सिस्टम परफोरमेंश के लिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर चलाना।

3.19 फर्म का यह उत्तरदायित्व होगा कि सभी लैपटॉप, कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान संतोषजनक रूप से कार्य करें और अनुबंध की समाप्ति के बाद उन्हें चालू हालत में ही दीपम को सौंपा जाए। यदि कोई क्षति पाई जाती है, तो अनुबंध के बाद भी उसे सुधारने के लिए फर्म उत्तरदायी होगी।

(रागेश कांत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24368785

निम्न को प्रतिलिपि :

1. नोटिस बोर्ड
2. एनआईसी को संपूर्ण निविदा दस्तावेज डीओडी की वेबसाइट (www.divest.nic.in) तथा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुबंध-I

कम्प्यूटर/लैपटाप/प्रिंटरों/यूपीएस/प्रोजेक्टर की सीएसएमसी हेतु निविदा

1. फर्म का नाम

2. विभिन्न सेवाओं की दरें नीचे उद्धृत की गई हैं :

सीएसएमसी प्रभार					
क्र.सं.	विवरण	संख्या	एक माह के लिए प्रति इकाई दर	एक माह के लिए राशि	12 माह के लिए राशि
1.	पर्सनल कम्प्यूटर	63			
2.	यूपीएस	64			
3.	प्रिंटर्स	79			
4.	लैपटॉप	16			
5.	प्रोजेक्टर	01			
कुल :					

* दरों में कोई कर शामिल नहीं होना चाहिए।

3. धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/डीडी) का ब्यौरा

4. मैं/हम दिनांक ..... के संविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस सं. 21/2/2016-सा.प्रशा. में सन्निहित निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

(संबंधित फर्म की मोहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पणीः बोलीदाता/फर्म को अपनी तकनीकी तथा वित्तीय बोली प्रस्तुत करने से पहले कम्प्यूटर/लैपटाप/प्रिंटरों/यूपीएस/प्रोजेक्टर के निर्माण का वर्ष, निर्माता और स्थिति का पता लगाने के लिए दीपम में आ सकता/सकती है।

अनुबंध-II

कम्प्यूटर/लैपटाप/प्रिंटरों/यूपीएस/प्रोजेक्टर की सीएसएमसी हेतु तकनीकी बोली

निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :

1. डीडीओ, दीपम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में 10,000 रु. (मात्र दस हजार रुपये) की धरोहर राशि एजेंसी के पंजीकरण की सत्यापित प्रति।
2. अंतिम आय कर विवरण की प्रति।
3. पैन कार्ड की सत्यापित प्रति।
4. पिछले दो वर्षों में किन्हीं तीन सरकारी कार्यालयों/संस्थानों/एजेंसियों से सीएसएमसी उपलब्ध कराने के सीएसएमसी आदेश के कार्य निष्पादन का प्रमाण-पत्र/प्रति।
5. जीएसटी पंजीकरण सं. की प्रति।
6. टीआईएन सं. की प्रति।
7. एजेंसी/वेंडर का पंजीकृत कार्यालय या कोई शाखा दिल्ली/नई दिल्ली/रा.रा. क्षेत्र में हो।
8. नियुक्त किए जाने वाले संभावित इंजीनियरों की बायोडाटा के साथ सूची। इंजीनियर के पास कम से कम कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का एक वर्षीय डिप्लोमा हो या वह सीसीएनए, एमसीएससी उत्तीर्ण हो और उसके पास आईटी हार्डवेयर के रखरखाव का 3-4 वर्ष का अनुभव हो।
9. वैध ईएसआई तथा पीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रार और कार्य अनुबंध कर हेतु दिल्ली बिक्री कर विभाग के पास पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।